बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संख्या–2/एम–59/2018– 1858(2)/स्वा0, पटना/दिनांक– 22/07/2019

भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली– 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः–**
   (i) यह नियमावली को "बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2019" कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **"बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम(2) के उप नियम (ग) एवं (ङ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**
   2(ग)– आयोग से अभिप्रेत है "बिहार तकनीकी सेवा आयोग"
   2(ङ)– स्नातकोत्तर डिग्री से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री यथा एम०डी०/एम०एस० अथवा समकक्ष।

3. **"बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2013 के नियम–6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता हैः–**
   सामान्य उप संवर्ग में नियुक्ति हेतु चिकित्सकों के चयन के लिए अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे।
   उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगाः–
   (i) एम०बी०बी०एस० में प्राप्तांक – कुल 60 अंक
   (ii) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतम डिग्री – कुल 15 अंक
   (iii) सरकारी अस्पतालों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति उपरांत कार्य अनुभव – कुल 25 अंक
   परन्तु, कार्यानुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक एवं इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जा सकते हैं।

टिप्पणी–(क) एम०बी०बी०एस० के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्ही अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50X0.6 = 30 अंक दिए जाएंगे।

परन्तु, यह भी कि चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रहेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर ही आयोग द्वारा मेधा सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12535, दिनांक–17.09.2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

4. **"बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

विशेषज्ञ उप संवर्ग में नियुक्ति हेतु चिकित्सकों के चयन के लिए अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के लिए अंक प्रदान किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव के लिए कुल निर्धारित अंक 100 होंगे। इन 100 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा:–

(i) एम०बी०बी०एस० में प्राप्तांक – कुल 60 अंक

(ii) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री, यथा डी०एम०/ एम०सी०एच० समकक्ष डिग्री (भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त हो) – कुल 15 अंक

(iii) सरकारी अस्पतालों में नियमित नियुक्ति/अनुबंध के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री धारक द्वारा नियुक्ति उपरांत कार्यानुभव – कुल 25 अंक

परन्तु, कार्यानुभव के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 05 अंक एवं इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जा सकते है।

टिप्पणी–(क) एम०बी०बी०एस० के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंको का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किन्हीं अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उन्हें 50×0.6 = 30 अंक दिए जाएंगे।

(ख) विशेषज्ञ उप संवर्ग में नियुक्ति हेतु विचारण के लिए न्यूनतम 30 अंक की अपेक्षा होगी।

परन्तु, यह भी कि विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का प्रावधान नहीं रहेगा। शैक्षणिक योग्यता एवं

1358(2)

D:\Ravi Kumar Singh\Act & Rules sec-2 11-07-2019.doc

कार्यानुभव के आधार पर प्राप्त अंको के आधार पर ही आयोग द्वारा मेघा सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जायेगी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–12535, दिनांक–17.09.2018 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान के अनुरूप बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू होगा।

5. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

9 सेवा के दोनों उप संवर्गों की मूलकोटि में नियुक्ति नियमावली के अध्याय–2 के प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा आगणित अंकों के आधार पर सीधी भर्त्ती की अनुशंसा की जाएगी। दोनों उप संवर्गों की वरीयता सूची आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर अलग–अलग विनिश्चित की जायेगी।

6. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

"12 नियुक्ति प्रक्रिया– संचालन एवं रिक्तियों की घोषणा":– आयोग, सरकार से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना एवं भर्त्ती की अधियाचना प्राप्त होने पर सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या ऐसी रीति से घोषित/विज्ञापित करेगा जैसा वह उचित समझे और नियम–6 एवं 8 के अधीन पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा। आयोग भर्त्ती प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष संचालित करेगा, यदि रिक्तियों की संख्या देखते हुए अन्यथा अधिसूचित न किया जाए।

7. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

"13 पात्रता का अवधारण":– भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश के प्रयोजनार्थ उम्मीदवार को–

(क) विज्ञापन वर्ष की पहली अगस्त को उम्मीदवार की अधिकतम आयु वही होनी चाहिए, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार निर्धारित की जाय।

(ख) परन्तु, यह कि नियुक्ति के किसी संव्यवहार में विभाग कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ा सकेगा। (विभागीय अधिसूचना संख्या–2/नियुक्ति–01/10–431(2), दिनांक–09.04.2014)

(ग) अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

(घ) मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और बिहार स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में अड़चन डाल सकने वाले शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए।

1358(2) 2/7/19

(ङ) मेडिकल कॉन्सिल ऑफ इंडिया अथवा किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्रेशन कॉन्सिल से स्थायी निबंधन प्राप्त होना चाहिए।

8. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–15 को विलोपित किया जाता है।**

9. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–17 में प्रयुक्त 'परीक्षा' शब्द के स्थान पर 'प्रक्रिया' शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है।**

10. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–18(6), (7), (8) एवं (9)(क) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

18(6) भर्त्ती प्रक्रिया के लिए अपनी पात्रता के संबंध में अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना।

18(7) भर्त्ती प्रक्रिया के दौरान अनुचित तरीकों को अपनाना।

18(8) भर्त्ती प्रक्रिया हेतु आयोग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को तंग करना या शारीरिक आघात पहुँचाना।

18(9)(क) जिस भर्त्ती प्रक्रिया का वह उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा निरर्हित ठहराया जाना, या।

11. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–19 के वाक्यांश 'मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक' को विलोपित किया जाता है।**

12. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–20 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

''20'' आयोग नियम--19 के अधीन अपनी अनुशंसा भेजते समय, आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों (जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बिहार राज्य के अन्दर चिकित्सा महाविद्यालय से उर्त्तीण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50% क्षैतिज आरक्षण आदि) की नियुक्ति की अनुशंसा, समय–समय पर लागू राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार करेगा।

13. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–21 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

'21' भर्त्ती प्रक्रिया के दरम्यान आयोग के द्वारा यदि आवश्यक समझा जाय तो आयोग के बुलावे पर उम्मीदवार को अधिसूचित तारीख, समय और स्थान पर अपने खर्च से उपस्थित होना होगा।

14. **बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–22 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–**

"22" आयोग भर्त्ती प्रक्रिया उपरान्त समेकित सूची तैयार करेगा तथा तैयार सूची से संबंधित अनुशंसा नियम–19 में निर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में सरकार के भेज दिए जाने पर प्रत्येक उम्मीदवार को तुरंत सूचना दी जाएगी।

15. बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2013 के नियम–23 में प्रयुक्त शब्द 'परीक्षा' के स्थान पर 'भर्त्ती प्रक्रिया' प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
22.7.2019
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/एम०–59/2018 1358(2) स्वा0, पटना/दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सरकारी प्रेस गुलजारबाग तथा वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22.7.2019
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/एम०–59/2018-1358(2) स्वा0, पटना/दिनांक 22/07/2019

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले0 एवं ह0)/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.7.2019
सरकार के संयुक्त सचिव